रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 11, 2004/वैशाख 21, 1926
No. 211] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 11, 2004/VAISAKHA 21, 1926

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 61/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 305(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) के अध्याय Xक के साथ पठित धारा 156 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को विशेष आर्थिक जोन(सातवां संशोधन) नियमावली, 2004 कहा जाए।

(2) ये पहली मई, 2004 को लागू होंगे।

2. विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 में:-

(क) नियम 2 में:-

(i) खंड (ग) में,"सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा दी गई अनुमति" शब्दों के लिए " विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रियाएं) नियमावली, 2003 के विनियम 2के खंड (ग) में यथा परिभाषित अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित" शब्द, कोष्ठक, अक्षर एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएं ।

(ii) खंड (i) के पश्चात् निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ii) विशेष आर्थिक जोन के संदर्भ में "इकाई अनुमोदन समिति" का अर्थ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के लिए स्थापित समिति से है";

(ख) नियम 5 में, उप नियम (4) में, "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों के लिए "उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं ;

(ग) नियम 9 में, उप-नियम (1) में:-

(i) खंड (क) में, "अथवा लेन-देन मूल्य पर, जो भी अधिक हो" शब्द हटा दिए जाएं ;

(ii) खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(ग) मूल्यह्रास की सरल पद्धति में नीचे विनिर्दिष्ट तरीके से अनुमति दी जाए; अर्थात्:-

(i) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के बाह्य सामान के लिए -

पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु @ 10%
दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु @8%
तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु@5%
चौथे एवं पांचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही हेतु@1%

(ii) कम्प्यूटर और कम्प्यूटर के बाह्य सामान के अलावा पूंजीगत माल के लिए -

पहले वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @4%
दूसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @3%
तीसरे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @3%
चौथे एवं पांचवे वर्ष में प्रत्येक तिमाही के लिए @2.5%
और उसके पश्चात् प्रत्येक तिमाही के लिए @2%

व्याख्या: किसी तिमाही के किसी हिस्से के लिए मूल्यहास की दर परिकलित करने के प्रयोजनार्थ पूरी तिमाही की गणना की जाए ; तथा;"

(घ) नियम 11 के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"11. माल को विशेष आर्थिक जोन इकाई से निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा उसी अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में अन्य विशेष आर्थिक इकाई में हटाया जाना,

(1) सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, की पुर्वानुमति से माल को प्राप्तकर्त्ता निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा विशेष आर्थिक जोन इकाई, जैसा भी मामला हो, के भीतर प्राधिकृत संकार्य करने के प्रयोजनार्थ शुल्क की अदायगी किए बिना विशेष आर्थिक जोन इकाई से हटा कर निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा उसी विशेष आर्थिक जोन अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में अन्य विशेष आर्थिक जोन इकाई में लाने की अनुमति दी जा सकती है :

आगे बशर्ते यह कि यदि किसी घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन इकाई में प्रवेश किए गए माल, जिस पर शुल्क छूट पा ,क योजना अथवा शुल्क प्रतिअदायगी का लाभ उठाया गया है, को इस प्रकार अथवा ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन जो कि विनिर्माण नहीं है, निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलैक्ट्रोनिक ह ।यर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई में सीधे ही विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा अथवा उसी विशेष आर्थिक जोन अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई के जरिए हटाया जाता है तो शुल्क छूट पास बुक योजना अथवा शुल्क प्रतिअदायगी के अंतर्गत उठाए गए लाभ के बराबर शुल्क अदा करना होगा ।

(2) किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा माल को उसी विशेष आर्थिक जोन के भीतर से अन्य विशेष आर्थिक जोन इकाई को निकासी के मामले में सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त की पूर्व अनुमति अपेक्षित नहीं होगी, लेकिन आपूर्तिकर्त्ता और प्राप्तकर्त्ता विशेष आर्थिक जोन इकाइयों द्वारा ऐसे लेनदेन का रिकार्ड रखना आवश्यक होगा ।

(ड.) नियम 12 में, उप-नियम (1) में, खंड (i) के ेिए निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(i) घरेलू टैरिफ क्षेत्र, से खरीदे गए माल को नष्ट करने के मामले में विशेष आ जोन इकाई को घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई से दावाकृत हित के आधार पर घरेलू टैरिफ की आपूर्तिकर्त्ता इकाई द्वारा उठाए गए अथवा विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा उठाए गए निर्यात लाभों को वापस करना अपेक्षित होगा;

बशर्ते कि जहां विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा ऐसा माल विदेशी मुद्रा देकर प्राप्त किया जाता है, विशेष आर्थिक जोन इकाई को ऐसे माल के नष्ट करने के मामले में, घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई से बेदावे के आधार पर घरेलू टैरिफ इकाई जिससे ऐसा माल खरीदा गया है अथवा विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा लिए गए निर्यात लाभों वापस अदा करना अपेक्षित नहीं होगा ;तथा;"

(च) नियम 14 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"14. विवरणियों की प्रस्तुति- प्रत्येक विशेष आर्थिक जोन इकाई तिमाही और वार्षिक विवरणी की एक प्रति पृष्ठांकित करेंगे जो कि वह विकास आयुक्त को अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप सीमा शुल्क आयुक्त को जैसा भी मामला हो,वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा सार्वजनिक सूचना सं. 1(आर ई-2003)/2002-07, दिनांक 31 मार्च, 2003 के तहत अधिसूचित प्रक्रियाओं की हस्तपुस्तिका, (खण्ड-I) के परिशिष्ट 141 एफ में इस प्रयोजनार्थ यथाविनिर्दिष्ट फॉर्मेट में प्रस्तुत करते हैं,

(छ) नियम 18 में "सीमा शुल्क आयुक्त" शब्दों के लिए "उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ज) नियम 19 के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"19. मॉनीटरिंग-विशेष आर्थिक जोन इकाई और संबंधित विशेष आर्थिक जोन विकासक के कार्य निष्पादन को इकाई अनुमोदन समिति द्वारा मॉनीटर किया जाएगा जिसमें संबंधित विशेष आर्थिक जोन के ऊपर क्षेत्राधिकार रखने वाला सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उसका नामिती सदस्य होगा ";

(ज) नियम 20 में,खंड (क) में,

(i) "या तो निर्यात किया जाएगा अथवा " शब्दों के लिए " या तो निर्यात किया जाएगा अथवा शुल्क की अदायगी किए बिना अन्य विशेष आर्थिक जोन में किसी अन्य विशेष आर्थिक जोन इकाई अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क में निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा इकाई को स्थानांतरित किया जाएगा " शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

(ii) परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

" आगे बशर्ते यह कि यदि घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन इकाई में प्रवेश किए गए माल, जिस पर शुल्क छूट पास बुक योजना अथवा शुल्क प्रतिअदायगी का लाभ उठाया गया है, को इस प्रकार अथवा ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन जो कि विनिर्माण नहीं है, निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई में सीधे ही विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा अथवा उसी विशेष आर्थिक जोन अथवा अन्य विशेष आर्थिक जोन में किसी इकाई के जरिए हटाया जाता है तो शुल्क छूट पास बुक योजना अथवा शुल्क प्रतिअदायगी के अंतर्गत उठाए गए लाभ के बराबर शुल्क अदा करना होगा ।"

[फा. सं. 314/24/2001-एफटीटी(भाग-IV)]

वी. केजो, अवर सचिव

टिप्पणी:— मूल अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 22 जुलाई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II,खंड-3,उप-खंड (i) में सा.का.नि.570 (अ), दिनांक 22 जलाई, 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसका संशोधन अधिसूचना सं. 58/2004-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 30 अप्रैल, 2004 {सा.का.नि.294(अ) दिनांक 30 अप्रैल,2004} द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 61/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 305(E).—**In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 156 read with Chapter XA of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Special Economic Zones Rules, 2003, namely:-**

1. (1) **These rules may be called the Special Economic Zones (Fourth Amendment) Rules, 2004.**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones Rules, 2003,-

(A) in rule 2,-

(i) in clause (c) , for the words "permitted by the Commissioner of Customs ", the words, brackets, letter and figures "approved by the Board of Approvals as defined in clause (c) of regulation 2 of the Special Economic Zones (Customs Procedures) Regulations,2003 " shall be substituted.

(ii) after clause (i), the following clause shall be inserted, namely:

' (ii) " Unit Approval Committee", in respect of a special economic zone, means a committee set up for the special economic zone as notified in the Official Gazette by the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry' ;

(B) in rule 5 , in sub-rule (4) , for the words " Commissioner of Customs", the words " Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be " shall be substituted;

(C) in rule 9, in sub rule (1), -

(i) in clause (a) , the words " or on the transaction value, whichever is higher" shall be omitted ;

(ii)for clause (c), the following clause shall be substituted , namely:-

" (c) the depreciation shall be allowed in straight line method as specified below, namely:-

(i) for computer and computer peripherals:

for every quarter in the first year	@10%
for every quarter in the second year	@8%
for every quarter in the third year	@5%
for every quarter in the fourth and fifth year	@1%

(ii)for capital goods other then computer and computer peripherals:

for every quarter in the first year	@4%
for every quarter in the second year	@3%
for every quarter in the third year	@3%
for every quarter in the fourth and fifth year	@2.5%
and thereafter for every quarter	@2%

Explanation.- For the purpose of computing rate of depreciation for any part of a quarter the full such quarter shall be taken into account; and";

(D) for rule 11, following rule shall be substituted, namely:-

"11. Removal of goods from a special economic zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or to other special economic unit in the same or other special economic zone.- (1) With the prior permission of the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, goods may be allowed to be removed from a special economic zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or to another special economic zone unit in the same special economic zone or in other special economic zone without payment of duty for the purpose of carrying out authorised operations within the receiving export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or special economic zone unit, as the case may be:

Provided that in case the goods admitted into special economic zone unit from any domestic tariff area, on which

benefit under duty exemption pass book scheme or duty draw back has been availed, are removed as such or after subjecting them to a process not amounting to manufacture, to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit directly by the special economic zone unit or through any unit in the same special economic zone or another special economic zone, the duty equal to benefit availed under duty exemption pass book scheme or duty drawback shall be liable to be paid.

(2) In case of clearance of goods by a special economic zone unit to another special economic zone unit within the same special economic zone, no prior permission of Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs shall be required, but both supplying and receiving special economic zone units shall be required to maintain records for such transaction." ;

(E) in rule 12, in sub- rule (1), for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-

" (i) in case of destruction of goods procured from domestic tariff area, the special economic zone unit shall be required to pay back the export benefits taken by the domestic tariff area supplying unit or taken by the special economic zone unit on the basis of disclaimer from domestic tariff area unit:

Provided that where such goods have been procured by the special economic zone unit against payment of foreign exchange, the special economic zone unit shall not be liable to pay back the export benefits, taken by the domestic tariff unit from which such goods have been procured or, taken by the special economic

zone unit on the basis of disclaimer from such domestic tarifl area unit, in case of destruction of such goods; and " ;

(F)for rule 14, the following shall be substituted namely:

"14.Submission of returns.- Every special economic zone unit shall endorse, a copy of the quarterly and annual return which it furnishes to the Development Commissioner, to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, in a format as specified for such purpose in Appendix 14IF of the Handbook of Procedures(Vol I), notified by the Director General of Foreign Trade, Government of India in the Ministry of Commerce and Industry under Public Notice No.1 (RE-2003)/2002-07, dated the 31st march, 2003

(G) in rule 18 for the words " Commissioner of Customs" the words " Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be," shall be substituted;

(H) for rule 19 the following rule shall be substituted , namely:-

" 19. Monitoring.- The performance of a special economic zone unit and a developer of the concerned special economic zone shall be monitored by the Unit Approval Committee in which the Commissioner of Customs having jurisdiction over concerned special economic zone or his nominee shall be a member";

(I) in rule 20, in clause (a),

(i) for the words " either exported or" the words " either exported or shall be transferred to another special economic zone unit in other special economic zone or to export oriented undertaking or unit in electronic hardware technology park or software technology park with out payment of duty or" shall be substituted ;

(ii) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

" Provided further that in case [redacted] zone unit from domestic tariff area, on which benefit under duty exemption pass book scheme or duty draw back has been availed, are removed as such or after subjecting them to a process not amounting to manufacture, to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit directly by the special economic zone unit or through any unit in the same special economic zone or another special economic zone, the duty equal to benefit availed under duty exemption pass book scheme or duty drawback shall be liable to be paid."

[F. No. 314/24/2001-FTT(Pt.-IV)]
V. KEZO, Under Secy.

Note : The principal notification No. 52/2003-Customs (N.T.), dated the 22nd July, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) with G.S.R 570 (E), dated the 22nd July, 2003 and was last amended by notification No 58/2004-CUSTOMS (N.T.), dated the 30th April, 2004 [G.S.R 294(E), dated the 30th April, 2004].

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 62/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 306(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962(1962 का 52) की धारा 76 ग की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 157 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बोर्ड एतद्द्वारा विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) विनियम, 2003 में और संशोधित करके निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन विनियमों को विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2004 कहा जाए ।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

1505GI/04—2

2. विशेष आर्थिक जोन (सीमा शुल्क प्रक्रिया) विनियम, 2003 में,-

(क) विनियम 2 में,-

(i) खण्ड (च) में "सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा अनुमति दिए गए " शब्दों के स्थान पर "अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगें ;

(ii) खण्ड (ढ) के बाद निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-
'(ढढ) "विशेष आर्थिक जोन के संबंध में यूनिट अनुमोदन समिति" का आशय केन्द्र सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा सरकारी राजपत्र में यथा-अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के लिए स्थापित समिति से है' ;

(ख) विनियम 3 में, उपविनियम (3) के लिए निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"(3) प्रत्येक जोन यूनिट का अन्य जोन यूनिट से भिन्न और पहचानयोग्य अथवा भिन्न और अलग-अलग स्थापन होगा ";

(ग) विनियम 10 में निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
"10.घरेलू टैरिफ क्षेत्र से विशेष आर्थिक जोन यूनिट द्वारा माल का प्रापण:-

(1) जोन यूनिट अथवा विकासक, जैसी भी स्थिति हो, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से प्राधिकृत संकार्य के लिए किसी माल का प्रापण कर सकता है, बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाएं, अर्थात् :-

(i) जोन यूनिट को माल की आपूर्ति करने वाले घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा, अथवा उस घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट की ओर से जोन यूनिट या विकासक द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, एक निर्यात पत्र दायर किया जाए, जिसमें माल का पूरा ब्यौरा, मॉडल, बनावट, नमूना और प्रकृति जैसे कि पूंजीगत माल, कच्चा माल, अतिरिक्त माल, उपभोग्य माल बताते हुए उस पर "विशेष आर्थिक जोन कार्गो" की मुहर का पृष्ठांकन किया जाए और उसके साथ जोन में निर्यात पत्र की नोटिंग और मूल्यांकन के लिए बीजक, पैकिंग सूची तथा खरीद आदेश भी संलग्न किया जाए;

(ii) निर्यात पत्र का जोन के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किया जाए;

(iii) उस घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट पर क्षेत्राधिकार रखने वाले समुचित अधिकारी के पास मूल्यांकित निर्यात पत्र जमा किया जाए और उसे ही जोन को माल हस्तांतरित करने के लिए अनुमति मानी जाए;

(iv) जोन इकाई अथवा विकासक,जैसा भी मामला हो, को माल की आपूर्ति कर रही घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई को ए आर इ-1 के कवर पर और निर्यात के निर्धारित बिल

पर माल को हटाने की अनुमति दी जाए जिसमें उनके द्वारा पूर्ण ब्यौरा, मॉडल,बनावट,क्रम संख्या,नमूना और अन्य संगत ब्यौरे दिए गए हों;

(v) जोन में इस प्रकार लाए गए माल को निर्यात के निर्धारित बिल और ए आर इ-I की एक प्रति के आधार पर जोन में प्रवेश की अनुमति दी जाए, इस पृष्ठांकन के साथ कि माल को पूरी तरह से जोन में प्रविष्ट करा दिया गया है और उसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को पैंतालीस दिनों के भीतर प्रेषित किया जाए, जिसे न करने पर अधीक्षक घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई के खिलाफ शुल्क की मांग करें;

(vi) जहां घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई अथवा जोन इकाई को ऐसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई की ओर से शुल्क प्रतिअदायगी के दावे अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना के अंतर्गत निर्यात का बिल दायर किया है और घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई शुल्क प्रतिअदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का दावा करने का इरादा नहीं रखती है, इस आशय का एक अस्वीकरण घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई को दिया जाए ओर घरेलू टैरिफ क्षेत्र इकाई द्वारा दिए गए अस्वीकरण के आधार पर जोन इकाई द्वारा शुल्क प्रतिअदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का दावा किया जा सकता है;

(vii) जोन में समुचित अधिकारी उसी तरह से निर्यात बिल का निर्धारण करें जैसा कि शुल्क प्रतिअदायगी के दावे अथवा शुल्क हकदारी पास बुक योजना क्रेडिट अथ अदावा, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत माल के निर्यात के मामले में इसका निर्धार किया जाता है और संबंधित निर्यात संवर्द्धन योजना के अंतर्गत जारी निर्देश आवश्यक परिवर्तनों सहित ऐसे माल का मूल्यांकन अधिनियम की धारा 14 के अनुसार किया जाए;

(viii) जोन में ऐसे माल के प्रवेश की अनुमति से पहले, जोन के सीमा शुल्क अधिकारी द्वारा ए आर इ-I और निर्यात बिल, बीजक और पैकिंग सूची में दिए गए ब्यौरे, मात्रा निशान, मॉडल आदि के संबंध में और निर्यात माल के संबंध में बनाए गए परीक्षण मानदण्डों और इस संबंध में बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आधार पर भी माल की जांच की जाए ;

(ix) घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट द्वारा जोन यूनिट अथवा विकासक को शुल्क प्रति-अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम क्रेडिट के विरुद्ध ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति तभी ग्राह्य होगी जब जोन यूनिट को ऐसी माल की आपूर्ति मुक्त रुप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त की जाती है;

(x) निर्यात बिल और इस संबंध में ए आर इ-I की जोन सीमा शुल्क प्राधिकारियों के पृष्ठांकन की एक प्रति कि जोन में माल पूरी तरह प्राप्त हो चुका है, को निर्यात का प्रमाण समझा जायेगा ;

(xi) जहाँ माल को जोन यूनिट अथवा विकासक द्वारा किसी व्यापारी अथवा मर्चेन्ट निर्यातक से खरीदे जाने का इरादा है, वहां ऊपर उल्लिखित प्रक्रिया निर्यात बिल

दायर करने सहित यथा परिवर्तन लागू होगी, इस बात को छोड़कर कि ए आर इ-I कवर के अंतर्गत माल को जोन में लाया जाना अपेक्षित नहीं होगा अथवा मर्चेन्ट निर्यातक के परिसरों से माल को हटाने के लिए निर्यात बिल की निर्धारित प्रति अधिकार क्षेत्र वाले केन्द्रीय उत्पाद प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी अपेक्षित नहीं होगी ।

(2) उपविनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी जोन यूनिट अथवा विकासक माल को घरेलू टैरिफ यूनिट क्षेत्र से प्रापण किया जाता है और जहाँ या तो माल की सप्लाई करने वाली जोन यूनिट अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट शुल्क प्रति-अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम क्रेडिट का दावा नहीं करती है अथवा जहाँ घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट से जोन यूनिट अथवा विकासक, जैसा भी मामला हो, को ऐसी आपूर्ति किसी निर्यात संबर्द्धन स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व को पूरा करने के विरुद्ध नहीं हो अथवा ऐसी आपूर्ति के विरुद्ध या तो माल की आपूर्ति करने वाली घरेलू यूनिट अथवा जोन यूनिट अथवा विकासक,जैसा भी मामला हो, किसी निर्यात लाभों का दावा नहीं करती हों तो जोन यूनिट अथवा विकासक निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्राधिकृत कार्य करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र से किसी ऐसे माल को प्रापण कर सकते हैं; अर्थात् :-

(i) जोन यूनिट अथवा विकासक के पूर्व-प्राधिकृत घरेलू प्रापण प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए जोन के सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करेगा और ऐसे आवेदन के आधार पर जोन के सक्षम अधिकारी अथवा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य किसी अधिकारी इन विविनियमों के अनुबंध में विनिर्दिष्ट प्रारुप में जोन यूनिट अथवा विकासक जैसा भी मामला हो, को पूर्व अधिकृत घरेलू प्रापण प्रमाणपत्र जारी करेंगे;

(ii) अधीक्षक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं,खण्ड (1) के अंतर्गत जारी घरेलू अधिप्राप्ति प्रमाणपत्र के आधार पर ए आर इ-I के अंतर्गत माल को हटाने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट को अनुमति देगे ;

(iii) ए आर इ-I में मॉडल, आकृति, क्रम संख्या, तकनीकी विशेषताएं जैसे माल का सम्पूर्ण विवरण निहित होगा;

(iv) खण्ड (ii) के अंतर्गत हटाये जाने वाले माल को ए आर इ-I के आधार पर जोन में प्रवेश की दी जा सकती है और इस पृष्ठांकन के साथ कि माल जोन में पूर्णतया प्रवेश किया गया है,ए आर ई-I की एक प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक जो घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट पर अधिकार क्षेत्र रखते हैं, को फैक्टरी अथवा भण्डरागृह से घरेलू टैरिफ क्षेत्र में माल को हटाने की तारीख से पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर भेजी जाये, ऐसा न करने पर जोन यूनिट के प्रभारी सक्षम अधिकारी ऐसे घरेलू टैरिफ क्षेत्र यूनिट के विरुद्ध शुल्क की माँग कर सकते हैं;

(v) जोन में ऐसे माल को प्रवेश की अनुमति देने से पहले माल की ए आर इ-I और बीजक तथा पैकिंग सूची में दिए गए विवरण, मात्रा, आकृति,मॉडल और अन्य संगत

ब्यौरे और बीजक तथा पैकिंग सूची और निर्यात माल के संबंध में विहित जाँच मानदण्डों के अनुसार और इस संबंध में समय-समय पर बोर्ड द्वारा जारी अनुदेश के संबंध में जोन के सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत सीमा शुल्क किसी अधिकारी जाँच पड़ताल की जायेगी;

(3) उप विनियम (1) और (2) में किसी बात के न होने की बात उन मामलों पर लागू होगी जहाँ शुल्क संदत माल घरेलू टैरिफ से अधिप्राप्त किया जाता है और घरेलू आपूर्तिकर्ता अथवा विशेष आर्थिक जोन द्वारा की गई आपूर्ति के लिए विरुद्ध कोई शुल्क रियायत अथवा निर्यात प्रोत्साहनों का दावा नहीं किया जा रहा है और ऐसे माल को माल में आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी बीजक और परिवहन दस्तावेज, यदि कोई हो, के आधार पर जोन में प्रवेश की अनुमति होगी;

स्पष्टीकरण-1:- इस विनियम के प्रयोजनार्थ "निर्यात प्रोत्साहनों" में प्रति अदायगी, शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, रिबेट, अग्रिम लाइसेंस अथवा निर्यात कमाई के रुप में आगमों की गणना अथवा किसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात देयता को पूरा करने के रुप में आगमों की गणना शामिल हैं।

स्पष्टीकरण-2:- इस विनियम के प्रयोजनार्थ "ए आर ई-1" का आशय दिनांक 26 जून, 2001 की अधिसूचना सं. 40/2001 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.) में उल्लिखित प्रारुप ए आर इ-1 से हैं।

(घ) विनियम 12 में "माल अर्थात पूंजीगत माल अथवा विनिर्मित माल" शब्दों के स्थान पर" पूंजीगत माल अथवा विनिर्मित माल सहित माल" शब्द प्रतिस्थापित किए जायेंगे;

(ड.) विनियम 15 के उपविनियम (1) खण्ड (i) में "बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित अग्रिम प्रेषण प्रमाणपत्र के साथ" शब्दों को हटाया जायेगा;

(च) विनियम 20 में "इस शर्त के अधीन कि ऐसी जवाहिरात के आदान प्रदान के विरुद्ध किसी अवशिष्ट अथवा विनिर्माण क्षति की अनुमति नहीं होगी" शब्दों को हटाया जायेगा;

(छ) विनियम 21 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा; अर्थात् :

"21.किसी जोन यूनिट से किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट में माल को हटाना;

(1) समुचित अधिकारी किसी जोन इकाई को पूंजीगत माल अथवा जोन इकाई द्वारा उत्पादित अथवा विनिर्मित माल की किसी निर्यातोन्मुखी उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, जैसा भी मामला हो, में विनिर्माण और निर्यात के उद्देश्य के लिए शुल्क का भुगतान किए बिना अथवा निर्यात के लिए अथवा निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर इकाई के अंदर उपयोग के लिए हस्तान्तरण की अनुमति दे सकता है अर्थात् :-

(i) प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी इकाई, जैसा भी मामला हो, के समुचित प्रभारी

अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रापण प्रमाण-पत्र के विरुद्ध जोन इकाइ इस प्रकार का हस्तान्तरण करेगी ;

(ii) वेयर हाउसिंग का प्रविष्टि बिल प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुखी इकाई अथवा सॉफ्टेवयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट, जैसा भी मामला हो की ओर से निर्यातोन्मुख इकाई अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलैक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क इकाई अथवा आपूर्तिकर्ता विशेष आर्थिक जोन इकाई द्वारा जोन के प्रौद्योगिकी सक्षम अधिकारी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत सीमा शुल्क अधिकारी के पास दायर किया जाएगा ;

(iii) निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई निकासी की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के अंदर प्राप्तकर्ता निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या इलैक्ट्रोनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट पर अधिकार रखने वाले सक्षम अधिकारी द्वारा इसके लिए प्राधिकृत सीमा शुल्क अधिकारी विधिवत हस्ताक्षरित रि-वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र जोन के सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ;

(iv) जहां पर निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई या इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई माल की निकासी के दिन से पैंतालीस दिनों की अवधि के अंदर रि-वेयरहाउसिंग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं तो संबंद्ध जोन के सीमा शुल्क अधिकारी ऐसे निर्यातोन्मुख उपक्रम, सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क इकाई, जैसा भी मामला हो, प्राप्तकर्ता इकाई पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले सक्षम अधिकारिक अधिकारी के साथ मामला उठाएगें ;

(v) उस मामले में जहाँ माल जिस पर शुल्क छूट पास बुक स्कीम अथवा शुल्क प्रति-अदायगी के अंतर्गत लाभ उठाया गया है, का घरेलू टैरिफ क्षेत्र से जोन यूनिट में प्रवेश हुआ है, को हटाया गया हो क्योंकि ऐसे अथवा उस प्रक्रिया जो विनिर्माण नहीं कहलायेगी को पूरा करने के बाद जोन यूनिट अथवा उसी जोन अथवा दूसरे जोन की किसी यूनिट के माध्यम से प्रत्यक्षत: किसी निर्यातोन्मुख उपक्रम अथवा साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क यूनिट अथवा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर प्रोद्योगिकी पार्क यूनिट के लिए हटाया गया है, को शुल्क छूट पास बुक स्कीम अथवा शुल्क प्रति-अदायगी के अंतर्गत उठाये गये लाभ के बराबर शुल्क देना होगा।"

(ज) विनियम 22 में,-

(i) उपविनियम (4) में "खण्ड (4)"शब्द, कोष्ठक और संख्या के स्थान पर " उपविनियम (3)" शब्द कोष्ठक और संख्या प्रति स्थापित की जायेगी;

(ii) उपविनियम (6) के लिए निम्नलिखित उपविनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात:-

"(6) जहाँ जोन यूनिट द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र से ऐसे खरीदे गये माल को समुचित प्रक्रिया से अथवा उसके बिना वापस घरेलू टैरिफ क्षेत्र को भेजा जाता है, ऐसे माल को पुन: आयातित माल माना जायेगा और भारत से बाहर से सामान्यतया पुन: आपातित माल के मामले में यथा लागू ऐसी प्रक्रिया और शर्तों के अधीन होगा;

परन्तु उन मामलों में जहां जोन खरीदे गये ऐसे माल को घरेलू टैरिफ क्षेत्र को वापस आपूर्ति की जाती है क्योंकि वहाँ ऐसे माल पर शुल्क "शून्य" है और ऐसे माल की अधिप्राप्ति के समय ऐसे माल के विरुद्ध कोई निर्यात लाभ की अनुमति नहीं दी गई थी, जोन यूनिट को बीजक के ही आधार पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र को ऐसे माल की वापस आपूर्ति की अनुमति दी जा सकती है और ऐसे मामलों में प्रविष्टि बिल दायर करना अपेक्षित नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण:- इस विनियम के प्रयोजनार्थ निर्यात लाभों में प्रति-अदायगी,शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम, रिबेट,अग्रिम लाइसेंस अथवा निर्यात कमाई के रुप में आगमों की गणना अथवा किसी स्कीम के अंतर्गत निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए आगमों की गणना शामिल हैं";

(झ) विनियम 24 में, उप-विनियम (5) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(5)"ऐसी शर्त के अध्यधीन जैसा कि जोन के समुचित अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और ऐसी प्रक्रिया के अध्यधीन जो कि समय-समय पर जोन के समुचित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, जोन इकाई को शुल्क की अदायगी किए बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विनिर्मित अथवा उत्पादित माल की सीमित मात्रा को प्रदर्शनी, बाजार संवर्द्धन, निर्यात संवर्द्धन, प्रदर्शनी के प्रयोजनों के लिए और जोन के ऐसे समुचित अधिकारी द्वारा यथाविनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर उसे वापस करने की अनुमति दी जानी चाहिए;

बशर्ते कि यदि जोन इकाई उचित अधिकारी द्वारा इस संबध में यथानिर्धारित अवधि के भीतर जोन में माल को वापस लाने में असमर्थ रहती है तो जोन इकाई अधिनियम की धारा 76 एफ के खंड (ख) के उपबंधों के अंतर्गत ऐसे माल पर लागू शुल्क अदा करेगी ";

(ञ) विनियम 25 में,-

(क) उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (iii) में "पर्याप्त" शब्द के लिए "सम्पूर्ण " शब्द प्रतिस्थापित किया जाए;

(ii) खंड (vii) में, परंतुक के लिए निम्नलिखित परंतुक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"बशर्ते कि ऐसी स्टेटस होल्डर जोन इकाई जिसका साफ-सुथरा ट्रैक रिकार्ड हो अथवा कोई इकाई जो कि कम से कम पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों को प्रतिकूल नोटिस में न आई हो, ऐसी किसी बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी "

(iii) खण्ड (viii) में दूसरे परन्तुक के लिए निम्नलिखित परन्तुक अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"बशर्ते आगे यह कि कि ऐसी स्टेटस होल्डर इकाई जिसका साफ-सुथरा ट्रैक रिकार्ड हो अथवा कोई इकाई जो कि कम से कम पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए

सीम शुल्क प्राधिकारियों की प्रतिकूल नोटिस में न आई हो की, ऐसी कोई बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करनी होगी ;"

(ख) उप-विनियम (2) में, खण्ड (iii) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्;

(iii) उत्पादन को उप-ठेके की सुविधा की अनुमति इस शर्त के अध्यधीन दी जाएगी कि उत्पाद को जोन में जोन इकाई द्वारा भी विनिर्मित किया जा रहा हो";

(ग) उप विनियम (3) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा;अर्थात्;

"(3) उचित अधिकारी की अनुमति के अध्यधीन जोन इकाई को शुल्क की अदायगी किए बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उजरती कामगारों के परिसरों में मोल्ड्स,जिग्स,टूल,फिक्सचर्स,टैकल्स,इन्स्टूमेंट्स,हैंगर्स,पैटर्न्स और ड्राइंग्स को हटाने की अनुमति दी जाएगी और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन उजरती कामगारों के परिसरों में ऐसे मोल्ड्स,जिग्स,टूल,फिक्सचर्स,टैकल्स,इन्स्टूमेंटस,हैंगर्स,पैटर्न्स और ड्राइंग्स को तब तक रखने की अनुमति दी जाएगी जब तक उजरती कामगार के साथ उप-ठेके की व्यवस्था है, अर्थात्:-

(i) जोन इकाई,उजरती कामगारों की इकाई पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आधिकारिक अधीक्षक से प्राप्त तिमाही सत्यापन रिपोर्ट उचित अधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि ऐसे मोल्ड्स जिग्स,टूल,फिक्सचर्स,टैकल्स,इन्स्टूमेंट्स,हैंगर्स,पैटर्नस और ड्राइंग्स उजरती कामगारों के परिसरों में पड़े हैं और उनको जोन इकाई की ओर से निर्यात के लिए माल के उत्पादन हेतु प्रयोग किया जा रहा है;

(ii) जोन इकाई ऐसे माल को उजरती कार्य ठेके की समाप्ति पर शीघ्रता से इकाई में वापस लाएगी ; और

(iii) ऐसे मोल्ड्स जिग्स,टूल,फिक्सचर्स,टैकल्स,इन्स्टूमेंट्स,हैंगर्स,पैटर्न्स और ड्राइंग्स को ऐसी निकासी की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर जोन इकाई को वापस किया जाएगा जहाँ उजरती कामगार इकाई केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है";

(घ) उप-नियम(6) के लिए निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा;अर्थात्:-

"(6) उजरती कामगारों के परिसरों में ऐसी प्रक्रियाओं के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट अथवा स्क्रैप अथवा अवशेष को या तो जोन इकाई को वापस किया जाएगा अथवा शुल्क की अदायगी पर इनकी निकासी की जाएगी जैसा कि उपर्युक्त अपशिष्ट अथवा स्क्रैप अथवा अवशेषों की जोन इकाई द्वारा निकासी की गई हो अथवा उन्हें जहां उजरती कामगार उत्पाद शुल्क पंजीकृत है, उजरती कामगारों के परिसरों में नष्ट कर दिया जाए, और ऐसी नष्ट करने की कार्रवाई उजरती कामगारों की इकाई पर क्षेत्राधिकार रखने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी की देख-रेख में की जाए और ऐसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित ऐसे नष्ट करने की कार्रवाई के सबूत को जोन सीमा शुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।"

(ट) विनियम 28 में उप विनियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"(2) यदि प्राप्त कोई माल घरेलू टैरिफ क्षेत्र से शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पास बुक योजना क्रेडिट अथवा किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत प्राकृतिक विपदाओं के कारण नष्ट होता है तो जोन इकाई को ऐसे माल पर ली गई शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पासबुक योजना क्रेडिट का भुगतान करना होगा ।

बशर्ते यह कि जहां जोन इकाई ने विदेशी मुद्रा की अदायगी पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल प्राप्त किया है, जोन इकाई ऐसे माल पर दावा किए गए शुल्क प्रति अदायगी अथवा शुल्क हकदारी पास बुक योजना क्रैडिट अथवा कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन को अदा करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी ।";

(ठ) विनियम 29 में;

(i) उप-विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा: अर्थात्:-

"(4) बॉण्ड राशि आयातित और घरेलू पूंजीगत माल पर उद्ग्रहणीय 25 प्रतिशत शुल्क जमा जोन इकाई द्वारा 3 माह के लिए स्टॉक में रखे जाने हेतु कच्ची सामग्रियों पर छोड़े गए शुल्क के बराबर होगी " ;

(ii) उप-विनियम (7) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:-

"(7) उप-विनियम (5) में कुछ के होते हुए भी, जहाँ जोन इकाई का कारोबार 1 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक का है अथवा जहाँ जोन इकाई साफ-सुथरे ट्रैक रिकार्ड के साथ 3 वर्षों से अधिक की अवधि से मौजूद है, ऐसी इकाई को प्रतिभूति अथवा जमानत प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

(iii) उप-विनियम (9) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:-

"(9) बांड एक चालू बांड होगा और जोन इकाई द्वारा आयातित अथवा खरीदे गए माल पर छोड़े गए शुल्क की राशि के बराबर की राशि के लिए डेबिट होगा और तैयार उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्रियों पर छोड़े गए शुल्क की राशि के बराबर राशि के लिए क्रेडिट होगा जहां ऐसे विनिर्मित माल का या तो निर्यात किया गया हो अथवा ऐसे आयातित अथवा खरीदे गए माल जब उनका इस प्रकार निर्यात किया गया हो अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए अधिनियम अथवा नियमों अथवा उप-विनियमों के उपबंधों के अनुसार शुल्क की अदायगी पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो,और शुल्क की अदायगी पर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो । बांड की ऐसी डेबिटिंग और क्रेडिटिंग को प्रत्येक तीन माह के अंत में एक बार किया जाएगा ।

बॉण्ड की ऐसी डैबिटिंग और क्रेडिटिंग प्रत्येक 3 माह के अंत में एक बार की जाएगी ।"

(ड) विनियम 30 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"30 कार्य निष्पादन की निगरानी जोन यूनिट के कार्य निष्पादन की जिसमें सीमा शुल्क आयुक्त जिनका जोन क्षेत्राधिकार, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा निगरानी की जायेगी अथवा उसका नामिती सदस्य होगा ।"

(ढ) विनियम 33 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"33 विकासक द्वारा माल का आयात और खरीद-(1) विकासक को जोन के विकास प्रचालन और रख-रखाव के प्रयोजनार्थ शुल्क की अदायगी किए बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल के आयात और खरीद की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगी अर्थात् :-

(i) विकासक के कार्यों को अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा;

(ii) विकासक किसी सनदी अभियंता के द्वारा विधिवत रुप से प्रमाणित जोन के विकास,प्रचालन और रख-रखाव के लिए अपेक्षित मशीनरी,उपकरण और निर्माण सामग्री की एक सूची प्रस्तुत करेगा;

(iii) विकास अनुमोदन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित कार्यों के प्रयोजनार्थ शुल्क मुक्त आयात अथवा खरीद के लिए प्रस्तावित माल की सूची के अनुमोदन के लिए खंड (ii) में उल्लिखित चार्टर्ड अभियंता के प्रमाणपत्र सहित संबंधित विकास आयुक्त आवेदन करेगा;

(iv) विकासक संबंधित भूमि के स्वामित्व, उससे संबंधित ऋण भारों का प्रमाण पत्र के सबूत अथवा उस मामले में जहाँ भूमि अपने पक्ष में कम से कम बीस वर्ष की एक अवधि के लिए पट्टे पर अपेक्षित है तो ऐसे पट्टे के सबूत विकास आयुक्त को प्रस्तुत करेगा ;

(v) विकास आयुक्त के अनुमोदन के आधार पर, उचित अधिकारी जिसका जोन पर क्षेत्राधिकार है, विकासक को शुल्क की अदायगी किए बिना माल के आयात अथवा खरीद की अनुमति दे सकता है;

(vi) माल को अधिनियम की धारा 57 अथवा धारा 58 के अंतर्गत सार्वजनिक भाण्डागार अथवा निजी भाण्डागार के रुप में नियुक्त अथवा लाइसेंसशुदा परिसरों में भण्डार किया जायेगा;

(vii) विकासक माल के आयात अथवा खरीद, उपभोग और उपयोग का सही हिसाब रखेगा और जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उचित अधिकारी को ऐसे उचित अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार तिमाही विवरणी प्रस्तुत करेगा ;

(viii) विकासक जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उचित अधिकारी के पास छः माह की अवधि अथवा ऐसी अवधि जो ऐसे उचित अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई हो, के भीतर माल उपयोग के लिए स्वयं को बंधित करते हुए विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2003 में यथा-उपबंधित फार्म-II में एक बंधपत्र का निष्पादन करेगा, और यदि विकासक ऐसा करने में विफल रहता है तो विकासक को माँगने पर उक्त माल पर यथा-उद्ग्रहणीय शुल्क के बराबर धनराशि के साथ-साथ उक्त माल के आयात अथवा खरीद की तारीख से उक्त शुल्क पर पन्द्रह प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना होगा ;

(ix) विकासक को उक्त जोन पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले उचित अधिकारी की अनुमति और ऐसे माल पर लागू शुल्क के भुगतान को छोड़कर, माल को जोन से हटाने की अनुमति नहीं होगी;

(x) जोन के निर्माण, विकास,प्रचालन,रखरखाव अथवा जोन में सुविधाएं प्रदान करने के लिए अपेक्षित को छोड़कर शुल्क के भुगतान के बिना किसी माल के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(xi) विकासक चार्टर्ड अभियंता जिसने खंड (ii) के प्रयोजनार्थ प्रमाण पत्र दिया है एक स्वतंत्र चार्टर्ड अभियंता से माल के उपयोग का प्रमाणपत्र जोन पर क्षेत्राधिकार रखने वाले उचित अधिकारी को माल के आयात अथवा खरीद के प्रत्येक छह माह पर प्रस्तुत करेगा ।

(xii) जोन इकाई पर यथा लागू माल के आयात अथवा अधिप्राप्ति की प्रक्रिया जोन के विकासक के मामले में आवश्यक संशोधनों के साथ लागू होगी सिवाय इसके कि विकासक के मामले में, घरेलू टैरिफ से आयातित अथवा अधिप्राप्त माल को जोन के गैर संराधित क्षेत्र में प्राधिकृत संकार्यों के प्रयोजनार्थ हटाने अथवा प्रयुक्त किए जाने की अनुमति दी जाएगी ।

व्याख्या:- इस विनियम के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विनियम के अंतर्गत उचित अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए दिया जाने वाला अनुमोदन अथवा अनुमति अथवा उचित अधिकारी द्वारा प्रभारित किए जाने वाले अन्य कार्यों को उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा उप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो, जो कि सीमा शुल्क आयुक्त अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत तैनात है, जिनका जोन पर केवल उस समय तक जोन पर क्षेत्राधिकार है जब तक नियमित उप सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सहायक सीमा शुल्क आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को जोन में तैनाती नहीं हो जाती, द्वारा प्रयोग किया जाएगा ।

(ण) निम्नलिखित अनुबंध को अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, नामश:-

अनुबंध-I

घरेलू खरीद प्रमाण पत्र

बंधपत्र के तहत माल की निकासी के लिए प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि :

(1) श्री/मै.----------(नाम तथा पता) विशेष आर्थिक जोन में स्थित एक वास्तविक इकाई है जिनके पास----------तक वैध अनुमति पत्र सं.----------है।

(2) कि इन्होंने विशेष आर्थिक जोन के सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अथवा सीमा शुल्क उपायुक्त के साथ---------- रुपये का बंध पत्र सं.---------- दिनांक निष्पादित किया है और इस प्रकार इन्हें----------(मात्रा) का----------(उत्पाद शुल्केय माल) (कृपया माल का पूर्ण विवरण जैसे मेक, मॉडल नं., क्रम सं. माल का विशेष विवरण का उल्लेख करें)----------(घरेलू टैरिफ क्षेत्र में स्थित आपूर्तिकर्ता इकाई का नाम एवं पता) में स्थित इकाई से----------में स्थित उसी/उनकी इकाई----------को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है।

(3) कि उसके/उनके प्राधिकृत एजेन्ट, नामत: श्री----------के विधिवत रुप से सत्यापित नमूना हस्ताक्षर नीचे प्रस्तुत हैं

मालिक अथवा उसके प्राधिकृत
एजेंट के नमूना हस्ताक्षर
सत्यापित हस्ताक्षरित

मुहर सहित
विशेष आर्थिक
जोन के अधीक्षक/
सीमा शुल्क निर्धारक के सत्यापित हस्ताक्षर ।"

[फा. सं. 314/24/2001-एफटीटी(भाग-V)]
वी. केजो, अवर सचिव

टिप्पणी:—मूल अधिसूचना सं. 53/2003-सीमा शुल्क(गै.टै.), दिनांक 22 जुलाई, 2003, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II,खंड-3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 571(अ), दिनांक 22 जुलाई 2003 के तहत प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार इसका अधिसूचना सं. 59/2004 सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 30 अप्रैल, 2004 (सा.का.नि.295(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2004)द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 62/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 306(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 157, read with sub-section (2) of section 76C of the Customs Act, 1962 (52of 1962), the Board hereby makes the following regulations further to amend the Special Economic Zones (Customs Procedures) Regulations, 2003, namely:-

1. (1) These regulations may be called the Special Economic Zones (Customs Procedures) (Fourth Amendment) Regulations, 2004.

(2)They shall come into force on the day of their publication in the Official Gazette.

2. In the Special Economic Zones (Customs Procedures) Regulations, 2003,-

(A) in regulation 2,-

(i) in clause (*f*), for the words " permitted by the Commissioner of Customs" the words " approved by the Board of Approvals" shall be substituted;

(ii) after clause(n), the following clause shall be inserted , namely:-

'(nn) " Unit Approval Committee", in respect of a special economic zone means a committee set up for the special economic zone as notified in the Official Gazette by the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry' ;

(B) in regulation 3, for sub-regulation (3), the following sub -regulation shall be substituted, namely:

" (3) Each zone unit shall have separate establishment distinct and identifiable or distinct and partitioned, from other zone unit";

(C) for regulation 10, following regulation shall be substituted , namely:-

'10. Procurement of goods by zone unit or developer from domestic tariff area.- (1) The zone unit or developer, as the case may be, may procure any goods from domestic tariff area for carrying out authorised operation subject to the following conditions, namely:-

(i) the domestic tariff unit supplying the goods to the zone unit or developer, or the zone unit or developer on behalf of the domestic tariff area unit, as the case may be, shall file a bill of export giving therein complete description, model, make, specifications, nature of goods such as capital goods, raw materials, spares, consumables, with specially stamped endorsement as "special economic zone cargo" alongwith invoice, packing list and purchase order for noting and assessment of the bill of export in the zone;

(ii) the bill of export shall be assessed by the customs officer in the zone;

(iii) the assessed bill of export shall be submitted to the proper officer having jurisdiction over the domestic tariff area unit and the same shall be treated as permission for transfer of goods to the zone;

(iv) the domestic tariff area unit supplying goods to the zone unit or the developer, as the case may be, shall be allowed to remove the goods on the cover of ARE-I and the assessed bill of export, giving therein complete description, model, make, serial number, specifications and other relevant particulars ;

(v) the goods so brought to the zone may be allowed admission into the zone on the basis of assessed of bill of export and ARE-I and a

copy of bill of export and ARE-I, with an endorsement that goods have been admitted in full into the zone, shall be forwarded to the Central Excise Superintendent having jurisdiction over the domestic tariff area unit within forty-five days, failing which the Superintendent shall raise demand of duty against the domestic tariff area unit;

(vi) where domestic tariff area unit or zone unit, on behalf of such domestic tariff area unit, has filed a bill of export under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme and the domestic tariff area unit does not intend to claim duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit, a disclaimer to this effect may be given to the zone unit, and on the basis of such disclaimer given by the domestic tariff area unit, duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit may be claimed by the zone unit;

(vii) the proper officer in the zone shall assess the bill of export in the same manner as it is assessed in the case of export of goods under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit or no claim, as the case may be, and instruction issued under respective export promotion scheme shall apply *mutatis mutandis* in respect of these goods ; and valuation of such goods shall be done in terms of section 14 of the Act;

(viii) before allowing admission of such goods in to the zone, the goods shall be examined by the customs officer of the zone in respect of description, quantity, marks, model and other relevant particulars. given in the ARE-I and bill of export, invoice and packing list and also as per the examination norms laid down in respect of export goods and instruction issued by the Board in this behalf from time to time;

(ix) the duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit against such supply of goods by domestic tariff area unit to the zone

unit or to the developer shall be admissible only when the payment for such supply of goods to the zone unit is received in freely convertible foreign currency;

(x) a copy of the bill of export and ARE-I with endorsement of zone customs authorities on it to the effect that goods have been admitted in full in the zone shall be treated as proof of export;

(xi) where the goods are intended to be procured by the zone unit or developer from a trader or merchant exporter, the procedure as stated hereinabove shall apply *mutatis mutandis*, including filing of bill of export except that the goods shall not be required to be brought to the zone under the cover of ARE-I and assessed copy of bill of export shall not be required to be submitted to the jurisdictional Central Excise authority for removal of goods, from the premises of the trader or merchant exporter.

(2) Notwithstanding any thing contained in sub- regulation (1), where the goods are procured by a zone unit or developer from a domestic tariff area unit and where either the zone unit or the developer or the domestic tariff area unit do not claim duty drawback or duty entitlement pass book scheme credit or where such supplies from domestic tariff area unit to the zone unit or developer, as the case may be, are not against fulfillment of export obligation under any export promotion scheme or where no export benefits against such supplies are claimed either by the domestic unit supplying the goods or the zone unit or developer, as the case may be, then, the zone unit or the developer may procure any such goods from domestic tariff area for carrying out authorised operation subject to the following conditions, namely:-

(i) zone unit or developer shall submit application to the proper officer of the zone for issuance of pre-authenticated Domestic Procurement Certificate and on the basis of such application, the proper officer of the zone or any other officer authorised by him in this regard shall issue to the zone unit or developer, as the case may be pre-authenticated

Domestic Procurement Certificate in the Form specified in Annexure –I to these regulations;

(ii) the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the domestic tariff area unit shall , on the basis of Domestic Procurement Certificate issued under clause (i), allow the domestic tariff area unit to remove the goods under the cover of ARE-I ;

(iii) the ARE-I shall contain complete description of goods such as model, make, serial number, technical specifications;

(iv) the goods allowed to be removed under clause (ii) may be allowed admission into the zone on the basis of ARE-I and a copy of ARE-I, with an endorsement that goods have been admitted in full into the zone, shall be forwarded to the Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the domestic tariff area unit within a period of forty-five days from the date of removal of goods from the factory or warehouse in the domestic tariff area , failing which the proper officer in charge of zone unit shall raise demand of duty against such domestic tariff area unit;

(v) before allowing admission of such goods in to the zone, the goods shall be examined by any officer of customs authorised in this behalf by the proper officer of the zone in respect of description, quantity, marks, model and other relevant particulars given in the ARE-I and invoice and packing list and also in accordance with the examination norms laid down in respect of export goods and instruction issued by the Board in this behalf from time to time;

(3) Nothing contained in sub-regulations (1) and (2) shall apply in cases where the duty paid goods are procured from domestic tariff area and no duty concession or export incentives are being claimed against such supplies by the domestic supplier or the zone unit or the developer, as the case may be, and such goods shall be allowed admission into the zone on the basis of invoice issued by the supplier of the goods and concerned transport documents, if any.

Explanation 1.- for the purpose of this regulation, "export incentives" includes

drawback, duty entitlement passbook scheme, rebate, advance license or counting of proceeds as export earnings or counting of proceeds as fulfillment of export obligation under any scheme.

Explanation 2.- For the purposes of this regulation, " ARE-I" means Form ARE-I referred to in notification No 40/2001-Central Excise (N.T), dated the 26th June, 2001.'

(D) in regulation 12, for the words " goods namely, capital goods or manufactured goods" the words " goods including capital goods or manufactured goods" shall be substituted .;

(E) in regulation 15, in sub-regulation (1), in clause (i), the words " alongwith advance remittance certificate duly certified by the bank" shall be omitted;

(F) in regulation 20, the words " subject to condition that no wastage or manufacturing loss against such exchange of jewellery shall be permissible;" shall be omitted;

(G) for regulation 21, the following regulation shall be substituted , namely:-

"21. Removal of goods from a zone unit to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit .- (1) The proper officer may permit a zone unit to transfer goods to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be, without payment of duty for the purpose of manufacture and export, or for export or for use within the unit subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall make such transfer against the procurement certificate issued by the proper officer in charge of receiving export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be;

(ii) a warehousing bill of entry shall be filed by the export oriented unit or software technology park unit or electronic hardware technology park unit or by the supplying special economic zone unit on behalf of the receiving export oriented unit or software

technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be, with the officer of the customs authorised in this behalf by the proper officer the zone;

(iii) export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit shall submit re-warehousing certificate duly signed by the proper officer, having jurisdiction over the receiving export oriented undertaking or software technology park or electronic hardware technology park unit within a period of forty five days from the date of clearance, to the officer of the customs authorised in this behalf by the proper officer of the zone;

(iv) where export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit fails to submit the re-warehousing certificate within a period of forty-five days from the day of clearance of goods, officer of the customs concerned in the zone shall take up the matter with the jurisdictional proper officer of the receiving unit, to initiate recovery proceeding against such export oriented undertaking, software technology park unit or electronic hardware technology park unit, as the case may be;

(v) where goods admitted into zone unit from domestic tariff area, on which benefit under duty exemption pass book scheme or duty draw back has been availed, are removed as such or after subjecting it to a process not amounting to manufacture, to an export oriented undertaking or software technology park unit or electronic hardware technology park unit directly by the zone unit or through any unit in the same zone or another zone, the duty equal to benefit availed under duty exemption pass book scheme or duty drawback shall be liable to be paid."

(H) in regulation 22,-

(i) in sub-regulation (4), for the word, bracket and figure " clause(4)" the word, bracket and figure " sub-regulation (3)" shall be substituted;

(ii) for sub- regulation (6), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

' (6) Where the goods so procured from domestic tariff area by the zone unit are supplied back to the domestic tariff area as it is or without substantial processing, such goods shall be treated as re-imported goods and shall be subject to such procedure and conditions as applicable in the case of normal re-import of goods from outside India:

Provided that in the case where such goods are supplied back to the domestic tariff area as it is and where the import duty on such goods is "Nil" and while procurement of such goods no export benefits were allowed against such goods, the zone unit may be allowed to supply back such goods to domestic tariff area on the basis of invoice only and filing of bill of entry in such cases shall not be required.

Explanation.- For the purpose of this regulation "export benefits" includes drawback, duty entitlement passbook scheme, rebate, advance license or counting of proceeds as export earnings or counting of proceeds as fulfillment of export obligation under any scheme.' ;

(I) in regulation 24, for sub-regulation (5), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (5) Subject to such condition as the proper officer of the zone may specify and subject to such procedure, as may be laid down by the proper officer of the zone from time to time, the zone unit shall be allowed to take limited quantities of goods manufactured or produced into domestic tariff area without payment of duty for the purpose of display, market promotion, export promotion, exhibition and return thereof within the period of time as specified by such proper officer of the zone:

Provided that in case of failure of the zone unit to bring back the goods in the zone within the period as specified in this behalf by the proper

officer, the zone unit shall pay the duty applicable on such goods under the provisions of clause (b) of section 76F of the Act." ;

(J) in regulation 25,-

(a) in sub-regulation (1),-

(i) in clause (iii), for the word " substantial" the word " entire" shall be substituted;

(ii) in clause (vii) , for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

" Provided that no such bank guarantee shall be required in case of status holder zone unit having an unblemished track record or a unit which has not come to the adverse notice of Customs authorities at least for a period of last two years ;" ;

(iii) in clause (viii), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

" Provided further that no such bank guarantee shall be furnished by the status holder zone unit having an unblemished track record or a unit which has not come to the adverse notice of Customs authorities at least for a period of last two years ;" ;

(b) in sub-regulation (2), for clause (iii) the following clause shall be substituted, namely:-

" (iii) the facility of sub-contracting of production shall be allowed subject to the condition that the product is also being manufactured by the zone unit in the zone ; " ;

(c) for sub –regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (3) Subject to permission of the proper officer, the zone unit shall be allowed to remove moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers, patterns and [illegible] to the job-worker's premises in the domestic tariff area without payment of duty and shall be allowed to

keep such moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers, patterns and drawings in the job-worker's premises till the sub-contracting arrangement with job worker is in existence, subject to the following conditions, namely:-

(i) the zone unit shall produce to the proper officer a verification report quarterly obtained from the jurisdictional Superintendent of Central Excise having jurisdiction over the of job-worker's unit to the effect that such moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers, patterns and drawings are lying in the job-worker's premises and are being used for production of goods for export on account of zone unit;

(ii) the zone unit shall bring back such goods to the unit immediately on expiry of such jobwork contract; and

(iii) such moulds, jigs, tools, fixtures, tackles, instruments, hangers, patterns and drawings shall be returned to the zone unit within a period of one year from the date of such removal where the job-worker's unit is not registered with Central Excise Department. " ;

(d) for sub-regulation (6) the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(6). The waste or scrap or remnants generated during such processes at the job-worker's premises shall either be returned to the zone unit or shall be cleared on payment of duty as if the said waste or scrap or remnants have been cleared by the zone unit or may, where the job worker is a Central Excise Registrant , be destroyed at the job worker's premises and such destruction shall be carried out under supervision of a central excise officer having jurisdiction over the job worker's unit and proof of such destruction duly certified by such Central Excise officer shall be submitted to the officer of the customs who is in charge of the zone."

(K).in regulation 28, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(2) Where any goods procured from domestic tariff area under claim of duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit or under any export promotion scheme are destroyed due to natural calamities , the zone unit shall be required to pay duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit claimed on such goods:

provided that in case where the zone unit has procured the goods from domestic tariff area against payment of foreign exchange, the zone unit shall not be liable to pay back duty drawback or duty entitlement passbook scheme credit or any export incentive claimed on such goods" ;

(L).in the regulation 29,-

(i) for sub –regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(4) The bond amount shall be equal to the twenty five per cent. of the duty leviable on the imported and indigenous capital goods plus duty forgone on raw materials to be held in stock for three months by the zone unit.";

(ii) for sub-regulation (7), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

" (7) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (5), where the zone unit have a turnover of rupees one crore or above, or where the zone unit is in existence for more than a period of three years with an unblemished track record, such unit shall not be required to furnish surety or security.";

(iii) for sub –regulation (9), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

"(9) The bond shall be a running bond and shall be debited for an amount equal to duty forgone on the goods imported or procured by the zone unit, and credited for an amount equal to duty forgone on the raw

materials used in the manufacture of finished products where such manufactured goods are either exported or cleared into domestic tariff area on payment of duty or for such imported or procured goods when exported as such or cleared into domestic tariff area on payment of duty as per the provisions of the Act or rules and regulations, made there under and such debiting and crediting of bond shall be done once at the end of every three months." ;

(M). for regulation 30, the following regulation shall be substituted, namely:-

"30. Monitoring of performance.- Performance of the zone unit shall be monitored by the Unit Approval Committee in which the Commissioner of Customs having jurisdiction over the zone or his nominee shall be a member."

(N) for regulation 33, the following regulation shall be substituted, namely:-

"33. Import and procurement of goods by developer.- (1) The developer shall be allowed to import or procure the goods from domestic tariff area without payment of duty for the purpose of development, operation and maintenance of the zone, subject to following conditions, namely :-

(i) the activity of the developer shall be approved by the Board of Approvals;

(ii) the developer shall submit a list of machinery, equipments and the construction material required for development, operation and maintenance of the zone, duly certified by a chartered engineer ;

(iii) the developer shall make an application to the concerned Development Commissioner for approval of the list of goods alongwith the certificate of the chartered engineer referred to clause (ii) , proposed to be imported or procured duty free for the purposes of the activity as approved by the Board of Approvals;

(iv) the developer shall submit to the Development Commissioner the proof of the ownership of concerned land, encumbrances certificate relating thereto, or in case the land is acquired on lease at least for a period of twenty years in his favour, the proof of such lease;

(v) on the basis of approval of the Development Commissioner, the proper officer having jurisdiction over the zone may allow the developer to import or procure goods with out payment of duty;

(vi) the goods shall be stored in the premises appointed or licensed as public warehouse or private warehouse under section 57 or section 58 of the Act;

(vii) the developer shall maintain proper account of import or procurement, consumption and utilisation of the goods and submit quarterly return to the proper officer having jurisdiction over the zone in such form, as may be specified by such proper officer ;

(viii) the developer shall execute a bond in Form II as annexed in the Special Economic Zone Rules, 2003 with the proper officer having jurisdiction over the zone , binding himself to utilise the goods within a period of six months or such period, as may be extended by such proper officer , and if the developer fails to do so, then the developer shall pay on demand an amount equal to the duty as leviable on the said goods alongwith interest at the rate of fifteen per cent. per annum on the said duty from the date of import or procurement of said goods ;

(ix) the developer shall not remove the goods from the zone except with the permission of the proper officer having jurisdiction over the said zone and on payment of duty applicable on such goods;

(x) no goods, other than which are required for the purposes of construction, development, operation, maintenance of the zone or for providing utilities in the zone, shall be allowed admission in the zone without payment of duty;

(xi) the developer shall produce, a certificate of utilisation of the goods from an independent chartered engineer other than who has given a certificate for the purpose of clause(ii), to the proper officer having jurisdiction over the zone on every six months of importation or procurement of the goods ;

(xii) the procedure for import or procurement of goods as applicable to the zone unit shall apply *mutatis mutandis* in case of developer of the zone except that in case of developer, the goods imported or procured from domestic tariff area shall be allowed to be moved or utilised for the purposes of authorised operations in the non-processing area of the zone.

Explanation.- For the purposes of this regulation, it is clarified that all approvals or permissions or extensions for utilisation to be given by or other

functions to be discharged by the proper officer under this regulation shall be exercised by the Deputy Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Central Excise , as the case may be , posted under the Commissioner of Customs or Commissioner of Central Excise, as the case may be, having jurisdiction over the zone during only l such time when a regular Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, is not posted in the zone.";

(O) the following Annexure shall be inserted at the end , namely:-

"Annexure-I

Form

Domestic Procurement Certificate

Certificate for removal of goods under bond

This is to certify that-

(1) Mr/ M/s-----------------(Name and address) is / are a bonafide unit in the special economic zone holding Letter of Permission No------ valid upto------

(2) That he / they has executed a bond No---- date------ for Rs ---------with the Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Customs of the special economic zone and as such may be permitted to receive -------- (quantity) of ---------------------------------(excisable goods)(please mention the complete description of the goods such as make, model number, serial number, specification of the goods) from the unit at---------- (name and address of the supplying unit at domestic tariff area) to his/ their unit ----------- at-----------------

(3) That the specimen signatures of his/ their authorized agent, namely, shri---- ------------------ are furnished below and is duly attested

Specimen signature of the owner or his authorised agent	Attested Sd/-	Signature with seal of the Superintendent/ Appraise of Customs of the Special Economic Zone".

[F. No. 314/24/2001-FTT(Pt.-V)]

V. KEZO, Under Secy.

Note :The principal notification No. 53/2003-Customs (N.T.), dated the 22nd July, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 571 (E), dated the 22nd July, 2003 and was last amended by notification No.59/2004-CUSTOMS (N.T.), dated the 30th April, 2004 [G.S.R.295 (E), dated the 30th April, 2004].

आधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 63/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 307(अ).— सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा राजस्थान राज्य में जोधपुर में बोरानाडा विशेष आर्थिक क्षेत्रको "विशेष आर्थिक क्षेत्र" के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

व्याख्या:- इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "बोरानाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र" का अभिप्राय बोरानाडा विशेष आर्थिक क्षेत्र से है जो नीचे विनिर्दिष्ट स्थानों में स्थित हैं और जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट क्षेत्र, खसरा संख्या वाले स्थान शामिल हैं, अर्थात् :-

राज्य: राजस्थान

जिला: जोधपुर

क्षेत्र: बोरानाडा

क्षेत्रफल: 452.00 बीघा

खसरा नं.- 150 भाग,151 भाग,152,152/1,153 भाग,155,158,159,160, 161/1,161,162 भाग,162/1भाग, 176 भाग,177 भाग, 178,179 भाग,179/1भाग,180भाग,180/1भाग,181,181/2,182,183भाग,186भाग,186/1भाग, 187 भाग

[फा. सं. 305/125/2003-एफटीटी]

वी. केजो, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 63/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by section 76A of the Customs Act, 1962 (52of 1962), the Central Government hereby specifies Boranada Special Economic Zone at Jodhpur, in the State of Rajasthan, as a "special economic zone"

Explanation.- For the purposes of this notification, "Boranada Special Economic Zone" means Boranada Special Economic Zone, located at and comprising of the places bearing the area, khasra numbers specified below, namely:-

State: Rajasthan

District: Jodhpur

Village: Boranada

Area: 452 .00 Bighas

Khasra Numbers.-

150 part, 151 part, 152, 152/1, 153 part, 155, 158, 159, 160, 161/1, 161, 162 part, 162/1 part, 176 part, 177 part, 178, 179 part, 179/1 part, 180 part, 180/1 part, 181, 181/2, 182, 183 part, 186 part, 186/1 part, 187 part.

[F. No. 305/125/2003-FTT]
V. KEZO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 64/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 308(अ).—सीमा शुल्क शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सॉल्ट लेक में मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन को" विशेष आर्थिक जोन" के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

व्याख्या:- इस अधिसूचना के उद्देश्यों के लिए "मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन" का अभिप्राय सॉल्ट लेक, कोलकाता में स्थित मणिकंचन विशेष आर्थिक जोन से है जो नीचे विनिर्दिष्ट स्थान में निम्नलिखित सीमाओं से घिरे निम्नलिखित क्षेत्रफल में स्थित है, नामत:-

राज्य:	पश्चिम बंगाल
परियोजना स्थल:	प्लॉट नं.1, ब्लॉक सी एन,सेक्टर-V बिधान नगर(सॉल्ट लेक सिटी) जिला उत्तरी 24 परगना थाना बिधान नगर(दक्षिण) कोलकाता-700091
भूमि का क्षेत्रफल:	303.11 कोटाह(लगभग 5एकड़)
सीमाएं: उत्तर:	टाइप IVरोड
दक्षिण:	टाइप III रोड
पूर्व:	प्लॉट नं.सीएन-2
पश्चिम:	प्लॉट नं.सीएन-1ए तथा सी एन-1बी

[फा. सं. 305/125/2003-एफटीटी]
वी. केजो, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 64/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 308(E).— In exercise of the powers conferred by section 76A of the Customs Act,1962 (52 of 1962), the Central Government hereby specifies Manikanchan Special Economic Zone at Salt Lake as a "special economic zone".

Explanation.- For the purposes of this notification, "Manikanchan Special Economic Zone" means the Manikanchan Special Economic Zone at Salt Lake, Kolkata located at and comprising of area and enclosed by boundaries as specified below, namely:-

State: West Bengal

Location of the project : Plot No.1, Block CN, Sector-V,
Bidhannagar (Salt Lake City)
District North 24 Parganas : P.S. : Bidhannagar (South)
Kolkata – 700 091.

Area of land : 303.11 Cottah (Approx. 5 Acre)

Boundries: North : Type IV Road
South : Type III Road
East : Plot No.CN-2
West : Plot No.CN-1A and CN-1B

[F. No. 305/125/2003-FTT]
V. KEZO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 65/2004-सीमा शुल्क (गै. टै.)

सा.का.नि. 309(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उत्तर- प्रदेश राज्य में मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र को एक " विशेष आर्थिक क्षेत्र " के रुप में विनिर्दिष्ट करती है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ " मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र " का आशय मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र से है जो नीचे विनिर्दिष्ट स्थानों में स्थित है और जिसमें नीचे विनिर्दिष्ट किए गए खसरा नंबरों वाले स्थान शामिल हैं अर्थात् :-

राज्य : उत्तरप्रदेश
जिला : मुरादाबाद
परगना : बिलारी
तहसील : बिलारी
कुल क्षेत्र : 421.565 एकड़

क्रमांक	गाँव	खसरा नम्बर
1.	2.	3.
1.	करनपुर	332एम,333एम,334एम,335एम,336,337एम,340एम, 341एम,342एम,343एम,344एम,346एम,347एम,348एम,349, 350,351,352,353,354,355.
2.	कोन्डारी	303,304,305,306एम,311,312,313,314,315,316,317, 318,319,321,322,323,337,338,339,340,341,344,345, 346,347,348,349,351,352,353,355,356,357,358,359, 360,361,363,364,365,367,368,369,372,373,374,376, 377,378,379,381,382,383,384,386,387,388,389,392, 393,394,395,396,397,398,400,401,403,404,483,485, 486,487,488,489,490,491,493,494,495,496,497,498, 499,501,502,504,505,506,507,508,509,515,516,517, 518,519,520,521,522,531,532,533एम,534,535,536.
3.	बहादुरपुर राजपूत	12एम,13एम,14एम,15,25एम,26,34एम,35एम,37,38,39,40,41 42,44,45,46,47,48,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62, 64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,75,77,78,79,80,81,82, 83,84,85,86,87,88,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100, 102,103,104,105,106,107,109,110,111,112,113,114, 115,117,118,119,120,121,124,126,127,128,130,132, 133,134,135,139,140,141,142,143,144,147,148,149, 150,151,153,154,156,157,158,160,161,162,163,164, 165,166,167,168,170,171,173,174,176,177,178,182, 183
4	लालपुर गंगवारी	1,2,3,6,7,8,9,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,27, 28,30,31,32,33,34,35,36,37,41,42,45,46,47,48,49, 52एम,55,56,57,59,60,61,63,64,65,66,67,75,76,77, 79,80,83,84,85एम,123,123/1395,124,124/1394, 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135, 137,138,139,140,141,142,143,145,146,147,148,150, 151,152,153,155,156,158,159,160,161,163,164, 165,166,167,169,170,171,172,174,175,176, 177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187, 188,190,191,192,193,195,197,199,200,243, 243/1382,262,263,264,265,266.

[फा. सं. 305/132/2003-वि. यात्रा कर]

वी. केजो, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 65/2004-CUSTOMS (N.T.)

G.S.R. 309(E).—In exercise of the powers conferred by section 76A of the Customs Act,1962(52 of 1962) the Central Government hereby specifies Moradabad Special Economic Zone at Moradabad, in the state of Uttar Pradesh, as a "special economic zone".

Explanation.- For the purposes of this notification, "Moradabad Special Economic Zone" means the Moradabad Special Economic Zone, located at and comprising of the places bearing the Khasra numbers specified below, namely:-

State: Uttar Pradesh
District: Moradabad
Pargana: Bilari
Tehsil: Bilari
Total Area: 421.565 Acres

Sr. No.	Village	Khasra Number
(1)		(3)
1	Karanpur	332M, 333M, 334M, 335M, 336, 337M, 338M, 340M, 341M, 342M, 343M, 344M, 346M, 347M, 348M, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355.
2	Kondari	303, 304, 305, 306M, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 323, 337, 338, 339, 340, 341, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 0360, 361, 363, 364, 365, 367, 368, 369, 372, 373, 374, 376, 377, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 386, 387, 388, 389, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 403, 404, 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 531, 532, 533M, 534, 535, 536
3	Bahadurpur Rajput	12M, 13M, 14M, 15, 25 M, 26, 34M, 35M, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121,124, 126, 127, 128, 130, 132, 133, 134, 135, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 178, 182, 183

(1)	(2)	(3)
4.	Lalpur Gangawari	1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19,20, 21, 23, 24, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 41,42, 45, 46, 47, 48, 49, 52 M, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 75, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 85 M, 123, 123/1395, 124, 124/1394, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 200, 243, 243/1382, 262, 263, 264, 265, 266.

[F. No. 305/132/2003-FTT]
V. KEZO, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मई, 2004

सं. 21/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

मा.का.नि. 310(अ).— अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उप धारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 5 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, इस बात का समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना सं. 58/2003-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 22 जुलाई, 2003 में आगे और संशोधन करती है, नामशः-

"उपर्युक्त अधिसूचना में, शर्त (ii) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात् :-

"(ii) यह कि उपर्युक्त माल की आपूर्ति विशेष आर्थिक जोन के सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत रुप से निर्धारित निर्यात बिल के प्रति अथवा विशेष आर्थिक जोन में सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विशेष आर्थिक जोन इकाई को जारी घरेलू प्राप्ति प्रमाण-पत्र के प्रति की जाती है;"

2. यह अधिसूचना पहली मई, 2004 से लागू होगी ।

[फा. सं. 314/24/2001-एफटीटी(भाग-IV)]
वी. केजो, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना सं.58/2003 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क(गै.टै.), दिनांक 22 जुलाई, 2003 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II,खण्ड-3,उपखंड (i) में सा.का.नि. 575(अ), 22 जुलाई ,2003 के तहत प्रकाशित हुई थी और उसमे अंतिम बार इसका अधिसूचना सं. 20/2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 अप्रैल, 2004 (सा.का.नि. 301 (अ) दिनांक 30 अप्रैल, 2004) द्वारा संशोधन किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th May, 2004

No. 21/2004-CENTRAL EXCISE

G.S.R. 310(E).— In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 5A of the Central Excise Act,1944 (1of 1944), read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act 1957 (58 of 1957), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No 58/2003-CENTRAL EXCISE , dated the 22nd July,2003, namely:-

In the said notification , for condition (ii), the following shall be substituted, namely:-

" (ii) that the said goods are supplied against bill of export duly assessed by the customs authorities of special economic zone or against a domestic procurement certificate issued to the special economic zone unit by the customs authorities in the special economic zone;"

[F. No. 314/24/2001-FTT(Pt.-IV)]

V. KEZO, Under Secy.

Note : The principal notification No. 58/2003-CENTRAL EXCISE, dated the 22nd July, 2003, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) with G.S.R 575 (E), dated the 22nd July, 2003 and was last amended by notification No20 /2004-CENTRAL EXCISE, dated the 30th April, 2004 [G.S.R.301 (E), dated the 30th April, 2004].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.